

विद्या संबल योजनान्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप
आवेदित विषय.....

1. आवेदक का पूर्ण नाम.....
2. पद (सेवानिवृत्त होने पर).....
3. पिता का नाम.....
4. माता का नाम.....
5. जन्म दिनांक.....
6. मोबाईल न. वाट्सएप न.
7. स्थायी पता
8. मेल आईडी.....
9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण -

फोटो मय
हस्ताक्षर

| क्र. सं. | कक्षा | बोर्ड / विश्वविद्यालय | उत्तीर्ण वर्ष | श्रेणी | कुल प्राप्तांक / पूर्णांक | प्रतिशत |
|----------|-----------|-----------------------|---------------|--------|---------------------------|---------|
| 1 | 10 वीं | | | | | |
| 2 | 12 वीं | | | | | |
| 3 | आई.टी.आई. | | | | | |
| 4 | डिप्लोमा | | | | | |
| 5 | अन्य | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. शोध प्रकाशन / शोधपरान्त अनुभव / पुरस्कार आदि का विवरण
 - i. शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे) - लेखक / लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाइटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
 - ii. शिक्षण / पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण
 - iii. पुरस्कारों का विवरण -
 - अ. अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण
 - ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंऊगा / होंऊगी।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
विभाग (संस्थान का नाम) में दिनांक को गैस्ट फौकल्टी
के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक
के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ
लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र
क्रमांक प.6(2) वित्त साधिलेनि 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया
नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज
जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता
परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया
सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान
कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फौकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक
कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान
करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही
हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभाति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट
फौकल्टी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर
गैस्ट फौकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक
के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक
को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर
या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं
करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फौकल्टी के रूप में
नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया
जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या संक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।
15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर आधारित है अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्ति नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता